न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/14/2025	2025/123	28.03.2025	22.07.2025

1. श्रीमति पत्ता पुत्री मोतीराम पत्नी शिवचरण चमार निवासी बडौदामेव ग्राम खोरपुरी तहसील लक्ष्मणगढ हाल निवासी सरपुर बिरसंगपुर तहसील किशनगढ बास जिला अलवर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. सावित्री उर्फ जावत्री पत्नी रघवीर निवासी 58, गंगवानी पींगवान नूँह हरियाणा।

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व इतंकाल सख्या 828 दिनांक 25.06.2016 न्यायालय उप तहसीलदार बडौदामेव

उपस्थितिः—

01.श्री दशरथ सिंह नरूका —वकील अपीलाण्ट

02.श्री अनिल गुप्ता —वकील रेस्पोडेंट

—:: निर्णय ::—

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील नायब तहसीलदार बडौदामेव के निर्णय दिनांक 25.06.2016 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत ने अपने निर्णय दिनांक 25.06.2016 के बाबत विरासत इतंकाल मोतीलाल मृतक का मिन अपीलाण्ट व मोतीलाल की पत्नी सम्मी व रेस्पो0 सावित्री के नाम आराजी ख. न. 30 रकबा 0.7588 खसरा नम्बर 29 रकबा 0.7335 वाके ग्राम खोरपुरी दर्ज व स्वीकार किया है जो गलत है। तहत अदालत ने सही प्रकार से मोतीलाल मृतक के वारिसान के बाबत कोई जॉच नहीं की और ना ही अपीलाण्टा को सुनवाई का अवसर दिया गया। अपीलाण्टा का पिता मोतीलाल आराजी ख.न. 30 व 29 का 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार था जिसकी मृत्यु दिनांक 12.06.2024 को हो गई थी। जिस पर उसका विरासत इतंकाल उसके विधिक वारिसान के नाम खोला जाना था परन्तु तहत अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सावित्री रेस्पो0 के नाम विरासत इतंकाल खोला गया जो निरस्त किये जाने योग्य है। मोतीलाल के एक मात्र पुत्र रोशनलाल था जिसका स्वर्गवास मोतीलाल के जीवनकाल में ही 1998 में हो गया जिसकी मृत्यु के बाद रेस्पो0 ने वर्ष 2000 में अपनी दूसरी शादी श्री रघुवीर से कर ली जो हरियाणा में रहती है। रेस्पो0 का मृतक मोतीलाल के चल अचल सम्पति से कोई सरोकार व वास्ता नहीं है इसलिए उक्त विरासत इतंकाल खिलाफ कानून दर्ज होकर निर्णित हुआ है जो निरस्त किया जावे।

अपीलाण्ट अपील मीमो के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश कर उक्त इतंकाल की सर्वप्रथम जानकारी 03.03.2025 को होने का कथन करते हुये जानकारी की दिनांक से अपील को मियाद में शुमार किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागणो की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया कि तहत अदालत ने

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

मृतक मोतीलाल के वैध वारिसान की जॉच नहीं की जबकि रेस्पो0 का मोतीलाल की आराजी से कोई ताल्लुक नहीं है। मोतीलाल के उसकी पत्नी सम्मी व एक पुत्र रोशन व पुत्री बसन्ती व पत्ता थी। जिनमें से बसन्ती अविवाहित नालौलाद फौत हो गई तथा रोशन पुत्र अपने पिता मोतीलाल के जीवन में ही फौत हो गया इसलिए प्रकार मोतीलाल के वैधानिक वारिसान सम्मी व उसकी पुत्री पत्ता दो ही रहे है। रोशन की पत्नी सावित्री द्वारा हरियाणा में दूसरा विवाह कर लिया जो हरियाणा रहती है। इस प्रकार तहत अदालत द्वारा मोतीलाल के विधिक वारिसान की समुचित जॉच नहीं की गई और ना ही इस सबंध में अपने निर्णय में कोई टिप्पणी अंकित की है। उनका यह भी तर्क रहा है कि उक्त विवादित इतंकाल की सर्वप्रथम जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 03.03.2025 को पटवारी हल्का के पास राजस्व अभिलेख की ऋण पत्रावली तैयार कराने जाने पर हुई इसलिए अपील को मियाद में शुमार करते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर उक्त विवादित इतंकाल को निरस्त फरमाया जावे। वकील अपीलाण्ट ने अपने तर्कों के समर्थन में RRD 2007 page 736, RRT 2024(2) page 1090 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 का तर्क है कि उक्त अपील अपीलाण्ट द्वारा 09 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई है जो मियाद बाहर है। विवादित इतंकाल मोतीलाल के विरासत का दर्ज किया गया है। चूंकि सावित्री रेस्पो0 मोतीलाल की पुत्रवधु अर्थात रोशन की पत्नि है इसलिए मोतीलाल की वैधानिक वारिस भी है। तहत अदालत ने इतंकाल निर्णित करने में कोई त्रुटि नहीं की है इसलिए अपील अपीलाण्टा खारिज फरमाई जावे। वकील रेस्पोडेण्ट ने अपने तर्कों के समर्थन में RRT 2018(2) page 1188, RBJ 2017 page 527 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं तहत अदालत की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया एवं उभय वकुलाय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अनुशीलन किया।

सर्वप्रथम मियाद के विन्दु पर विचार किया जाना है। अपीलाण्ट ने अपनी अपील के साथ दफा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया ह ैजिसमें सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 03.03.2025 को होना कथन किया है तथा अपने कथन के समर्थन में स्वंय का शपथ पत्र भी पेश किया है। पत्रावली पर ऐसा कोई तथ्य/साक्ष्य उपलब्ध नहीं ह ैजिससे यह ज्ञात होता हो कि अपीलाण्ट को चुनौतीपूर्ण आदेश की जानकारी दिनांक 03.03.2025 से पूर्व से ही थी। यद्यपि यह अपील काफी विलम्ब से पेश की गई है, परन्तु अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही थी ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है।

दफा 5 को पक्षकारों को पर्याप्त न्याय दिलाने के लिए उदारतापूर्वक समझा जाना चाहिए। यह प्रावधान इस बात पर विचार करता है कि सबंधित व्यक्ति की स्थिति और देरी का कारण एवं मामले की विशिष्ट परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए। आमतौर पर ऐसे मामलो में विचारण के दौरान् पर्याप्त न्याय और तकनीकी विचार एक दूसरे के विरूद्व देखे जाते है। ऐसी स्थिति में पर्याप्त न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि दूसरा पक्ष इसका दावा नही कर सकता। इस मामले में ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि देरी जानवूझकर या किसी लापरवाही,दुर्भावना के कारण हुई है। विलम्ब करने से अपीलाण्ट को कोई लाभ नहीं होता, बल्कि वह गम्भीर जोखिम उठाता है। परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के अनुसार किसी भी अपील या आवेदन को परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद भी स्वीकार किया जा

अतिरिक्त कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

सकता है। यदि अपीलकर्ता/आवेदन अदालत को आश्वस्त करता है कि उसके पास परिसीमा अवधि के दौरान् अपील/आवेदन दाखिल न कर पाने का पर्याप्त कारण है। इस मामले में अपीलार्थी द्वारा देरी का जो कारण अभिलिखित किया गया है वह संतोषजनक प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन आदेश का प्रश्न है यह आदेश नायब तहसीलदार बडौदामेव द्वारा इतंकाल सख्या 828 मोतीलाल की विरासत इतंकाल पर पारित किया गया है जिसमें पटवारी हल्का द्वारा मोतीलाल की विरासत बहक सम्मी पत्नी मोतीराम, पत्ता पुत्री मोतीराम सावित्री पत्नि रोशन कोम चमार सा. बडौदामेव खातेदार 1/2 हि. के नाम स्वीकार किया गया है। उक्त विवादित इतंकाल का अवलोकन करने से प्रथम दृष्टया यह जाहिर होता है कि पटवारी हल्का निजामनगर द्वारा यह विवादित इतंकाल सख्या 828 ग्राम खोरपुरी मृतक मोतीराम पुत्र मोहनलाल मेघवाल की विरासत का दर्ज किया गया है जिसमें उल्लेखित सजरे में रोशन पुत्र (फौत) सावित्री का अकंन इंतकाल निर्णित होने के बाद किया गया प्रतीत होता है जो पृथक पैन व पृथक स्याही से किया हुआ है। इसी प्रकार इतंकाल के कालम सख्या 9 में भी ओवर राईटिंग की गई है तथा सावित्री पत्नि रोशन का नाम बीच में अलग पैन से जोड़ा गया है। विवादित इतंकाल का अवलोकन करने से यह तथ्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि उक्त विरासत इतंकाल दर्ज करने में पटवारी हल्का द्वारा निश्चित रूप से कूटरचना कर रेस्पो० का नाम जोड़ा गया है। जबकि पटवारी हल्का ने इतंकाल के कालम संख्या 14 में यह उल्लेख किया है कि मृत्यु प्रमाण पत्र मोती ग्राम पंचायत ब्रजपुर प.स. किशनगढबास द्वारा जारी व प्रार्थी सम्मी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र कमांक 946 दिनांक 10.07.2014 व ग्राम पंचायत बडौदामेव द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार विरासत दर्ज की गई है। जबकि सम्मीदेवी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र जो पत्रावली में उपलब्ध है में सम्मी स्त्री व पत्ता पुत्री दो ही वारिस दर्ज है। ग्राम पंचायत बडौदामेव द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र में भी सम्मी व पत्ता दो ही वारिस दर्ज है। जबकि ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र व सम्मी के शपथ पत्र के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा नामातकरण दर्ज किया गया था तो इससे यही उपधारण की जा सकेगी कि सम्मी व पत्ता के अतिरिक्त रेस्पो० सावित्री का नाम जो पृथक पैन व स्याही से ओवरराईटिंग कर जोडा गया है वह इतंकाल निर्णित करने के बाद कूटरचना करके जोड़ा गया है जो सन्देहजनक है। भू० अभिलेख निरीक्षक की टिप्पणी के अनुसार भी उक्त इतंकाल सन्देहजनक होना प्रतीत होता है क्योंकि भू० अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपनी टिप्पणी में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया है कि फैसला वारिसान की जॉच कर फैसल फरमावें तथा रोशन एवं बसन्ती का मृत्यु प्रमाण पत्र मंगवाया जावे। भू० अभिलेख निरीक्षक की टिप्पणी के उपरान्त राजस्व अधिकारी तहत अदालत द्वारा वारिसान की कोई विधिक जॉच की गई हो और रोशन व बसन्ती का मृत्यु प्रमाण पत्र मगंवाया गया हो या अपीलाण्टा को सुनवाई का कोई अवसर दिया गया हो तहत अदालत के आदेश से स्पष्ट नहीं होता है। मेरे विनम्र अभिमतानुसार विरासत के मामले में मृतक के विधिक वारिसान की समुचित जॉच उपरान्त ही नियमानुसार जायज वारिसान के नाम इतंकाल स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रश्नगत इतंकाल में राजस्व अधिकारी द्वारा ऐसी कोई प्रकिया अपनाई गई हो साबित नहीं होता है। इस प्रकार उपरोक्त अपीलाधीन आदेश में मृतक मोतीराम के विधिक वारिसान की जॉच की आवश्यकता है। यद्यपि इतंकाल की कार्यवाही एक फिसकल प्रोसिंडिग है जिसमें किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नहीं होते है परन्तु जहां इतंकाल निर्णित करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो की अनदेखी कर पारित किया गया आदेश कानून की नजर में प्रारम्भ से शून्य माना जाता है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये यह उल्लेख करना उचित होगा कि विवादित इतंकाल में सवंधित तत्कालीन पटवारी हल्का निजामनगर की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है। तत्समय जब पटवारी हल्का द्वारा ग्राम पंचायत के वारिस प्रमाण पत्र एवं सम्मी के शपथ पत्र के आधार पर केवल सम्मी व पत्ता के नाम ही विरासत का नांमातकरण दर्ज किया गया तो ऐसी स्थिति में पृथक से सावित्री (रेस्पो0) को नाम किस आधार पर क्यों जोडा गया। पटवारी हल्का द्वारा की गई इस कूटरचना से पूरी इतंकाल प्रकिया ही दूषित हो गई है जिसे वनाये रखना उचित नहीं है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर हम यह पाते है कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

आदेश

अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा नायब तहसीलदार बडौदामेव द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.06.2016 वावत इतंकाल सख्या 828 वाके ग्राम खोरपुरी निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक मोतीराम के विधिक वारिसान की समुचित जॉच कर अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये नये सिरे से विधिसम्मत इतंकाल दर्ज कर निर्णित करें। निर्णय की प्रति तहत अदालत के रिकार्ड के साथ वापिस लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्वर से कम की जाकर वाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)